संख्या-6/2016/321जेड/6-सा-1-2016-22जी/2014टीसी-2

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: मार्च, 2016

विषय:-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन की चिकित्सा व्यय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-425/छ:-स्व0से0/2016, दिनांक-09-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय- 01- वेतन मद में उपलब्ध बचत रू0 12,00,000/- में से रू0 10,50,000/- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार अतिरिक्त रूप से दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (रूपये में)
2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनायें-03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय 49-चिकित्सा व्यय	10,50,000
योग	**10,50,000**

2- उपरोक्त पुनर्विनियोग निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग से प्रदान की गयी धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में कर लिया जायेगा।

(3) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लिया जायेगा तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(4) चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सभी बिलों की जांच तथा किसी भी अनियमितता का दायित्व भी आपका होगा।

3- चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु की जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हो, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेववायें-आयोजनेत्तर-200-अन्य योजनायें-03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-49-चिकित्सा व्यय की सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक 2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय -03-उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-01 वेतन मद की सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)

उप सचिव।

संख्या:6/2016/321(1)जेड/6-सा-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट-प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/12

8- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।

9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in